

183

क  
दिल्ली अन्तिम प्रारूप

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

दिनांक- 21.06.2017

पृष्ठ सं.-1 से 2 बिनं तु सा.1 से 14

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी (पीआईओ)  
हीमंत पुलिस हस्तपुस्तक (सी.पी.)  
पु.सूचनालय, आई.टी. ब्लॉक  
बाग़ी दिल्ली - 110009



आवेदक का नाम व पता- रामेश्वर शर्मा पी 0 नं 0 डी. 406, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक क-डकलदुगा कोर्ट परिसर शाहदरा दिल्ली-32

सूचना का विवरण- सूचना क्रमांक डी.डी. एन.टी. की प्रमाणित प्रतिलिपि जो जिसका रजिस्ट्र नं 440 और बी.0 दिनांक 20.02.2017 व 21.02.2017 एवं थाना खजुरी खास दिल्ली 110094 एवं इसकी यह डी.डी. एन.टी. रजिस्ट्र में ए. और बी.0 के आधार पर 20.02.2017 एवं 21.02.2017 को दर्ज हुई है और उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ देवे। 2. यह है कि ओम प्रकाश 44शी पुत्र नामालुम निवासी 2258 ग्राउंड फ्लोर हवसन लेन जी.टी.डी. नगर दिल्ली, 2281 एवं 2260 भी इसी पते पर है और यह दो नं. का कार्य करने वाला उपरोक्त बक्शी रेसिडेन्सीयल मकानों में अवैध गर्ल्स होस्टल उपरोक्त 2258 मकान नं. की बोथी मंजिल पर अवैध निर्माण कर किस योजना से गर्ल्स होस्टल राजपाल आदि अपने सहयोगी बदनाशो की सहायता से दिल्ली पुलिस को रक्षित देकर किस योजना से चलाता है। 3. नोटिस अंडर सेक्शन 133 ऑफ मॉटर व व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नोटिस सा. 19516922 एन.डी. (टी) दिनांक 30.05.2017 द्वारा नोटिस सा. 16516921 एन.डी. (टी) दिनांक 30.05.2017 तैसरा नोटिस सा. 19516920 एन.डी. (टी) दिनांक 30.05.2017, चौथा नोटिस सा. 19516921 एन.डी. (टी) दिनांक 30.05.2017, यह चारों नोटिस असंवैधानिक अंग्रेजी भाषा में किस योजना से आजाद भारत में भेजे जाते हैं और सभी प्रकार के बालान भी दिल्ली पुलिस द्वारा असंवैधानिक राजभाषा अंग्रेजी भाषा में किस योजना से आजाद भारत में किए जाते हैं। 4. दिल्ली पुलिस एवं वातायत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दिल्ली और एन.सी.डी.आर. की कार एवं दूसरी गाड़ीयों पर ब्लॉक सीरो रिस्ट लैकर किस योजना से चलवाते रहे है। 5. दिल्ली में दिल्ली पुलिस, एन.सी.डी. दिल्ली वातायत के अधिकारी और कर्मचारी मोटी रिस्ट लैकर नैशनल आई.एस.डी.टी. और इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के आस पास और दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन को आस-पास निजी कारो और दूसरी अन्य गाड़ीयो को मोटी रिस्ट लैकर अवैध तरीके से टैक्सी बनाकर किस योजना से चलवाते है और पूरे दिल्ली के हर क्षेत्र के रोडो पर, पार्को पर अवैध दुकाने, रेड्डी खानचे आदि ताखो की संख्या में अवैध तरीके से लगवाकर इनसे लाखों का अवैध व्यापार करकर दिल्ली पुलिस, एन.सी.डी., वातायत विभाग की अधिकारी व कर्मचारी योजना कई सौ करोड़ की रिस्ट लैकर किस योजना से यह धन्धा करा रहे है सूचना विवरण सही देवे।

सूचना की अवधि 1947 से 2017 हाल तक-

आदरणीय गान्यवर,

1. सूचना दे की आपके विभाग के डिप्युटी डायरेक्टर एवं पुलिसिय अधिकारियों के नाम पते एवं पद दर्शाते हुए उनका विवरण सहित थोरा हिन्दी में देवे।
2. सूचना दे कि देश की हर क्षेत्र में कार्यवाही करने के लिए देश की सैवधानिक राज भाषा जैन सी है सूचना हिन्दी में देवे।
3. सूचना दे की देश की राष्ट्रभाषा जैन सी है।
4. सूचना दे की विश्व में कौन सा देश ऐसा है जेराकी राष्ट्रभाषा नही है। सूचना हिन्दी में देवे।
5. सूचना दे की कौन सा देश ऐसा है जिसकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा में उनके देश की हर कार्य नहीं होते सूचना हिन्दी में देवे।

\_\_\_\_\_

6. सूचना दे की ऑन प्रकाश बक्शी और जराका सहयोगी बदनाश राजपाल न०.न०. 2258, 2261 और 2260 इरान लेन जी०.टी०.डी०. नगर दिल्ली में कर्मशीयल तरीके से इन मकानों को नर्लर्ज हॉस्टल एवं बायल हॉस्टल चला कर बिना किसी प्रमीशन के दिल्ली पुलिस आदि को मोटी रिश्वत देकर अवैध कमाई/अवैध व्यापार किस योजना से चलाया जा रहा है। सूचना हिन्दी में देवे।

7. सूचना देकी यह उपरोक्त ऑन प्रकाश बक्शी व राजपाल 2258, इरान लेन जी०.टी०.डी०. नगर दिल्ली की चौथी मंजिल पर अवैध कनरे एन०.सी०.डी०. वालो को रिश्वत देकर किस योजना से बनाये गए और उनमें अवैध तरीके से कर्मशीयल कार्यवाही कर नर्लर्ज हॉस्टल बिना प्रमीशन के किस योजना से चलाने दिया जा रहा है सूचना हिन्दी में देवे।

8. सूचना दे कि उपरोक्त डी०.डी०. रजिस्टर की ए०.बी०.डी०. की एन्ट्री जो 20.02.2017 या 21.02.2017 को थाना खजुरी खास दिल्ली में लिखी गई उसकी सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि विवरण सहित सूचना के साथ हिन्दी में देवे।

9. सूचना दे की उपरोक्त 20.02.2017 एवं 21.02.2017 थाना खजुरी दिल्ली में कुल कितनी टी०.डी०. 5 टी०. डी०. किस-किस संबंध में लिखी उन का विवरण सहित थारा देते हुए सूचना हिन्दी में देवे।

10. सूचना दे की उपरोक्त 4 नोटिस नोटिस अंडर सैवशन 133 ऑफ गॉटर व फीकल एक्ट 1988 के तहत नोटिस स०. 19516922 एन०.बी०. (टी) दिनांक 30.05.2017 दूसरा नोटिस स०. 18516821 एन०.बी०. (टी) दिनांक 30.05.2017 तीसरा नोटिस स०. 19516920 एन०.बी०. (टी) दिनांक 30.05.2017, चौथा नोटिस स०. 19516919 एन०.बी०. (टी) दिनांक 30.05.2017, यह चारो नोटिस असंवैधानिक अंग्रेजी भाषा में किस योजना से अजाद गारत में भेजे जाये है विवरण सहित सूचना हिन्दी में देवे।

11. सूचना दे कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस एवं यातायात विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दिल्ली और एन०. सी०.आर०. की गाड़ीयो जो ब्लैक शीश रिश्वत लेकर किस योजना से चला रहे है। सूचना हिन्दी में देवे।

12. सूचना दे कि दिल्ली के सभी अन्तरराजीय बस अड्डों एवं अन्तरदेशीय एयरपोर्टों के आसपास अवैध निजी गाड़ीया लगाकर अवैध कपली कर अवैध तरीके से यातायात के नियमों को तोड़कर अरबो रुपये की रिश्वत लेकर दिल्ली पुलिस और यातायात के अधिकारी और कर्मचारी चलवा रहे है।

13. सूचना दे कि दिल्ली के इन्ड्रको, नर्वे, नालो, मालीये, एन०.सी०.डी०. आदि पर दिल्ली पुलिस, एन०.सी०.डी०. यातायात विभाग के कर्मचारी, व अधिकारी मोटी रिश्वत लेकर किस योजना से अवैध दुकाने, रेस्ती खोमचे आदि लगाकर योजना अरबो रुपये की कमाई किस आधार पर कर रहे है सूचना हिन्दी में देवे।

14. सूचना दे कि दिल्ली के हर क्षेत्र में एवं एन०.सी०.आर०. में दिल्ली पुलिस द्वारा और दूसरे विभागो द्वारा हर कार्यवाही असंवैधानिक अंग्रेजी की अंग्रेजी भाषा में किस योजना से हर प्रकार की कार्यवाही किस योजना से की जाती है और कम्प्यूटर में कैपल अंग्रेजी की अंग्रेजी भाषा के फ्लैट किस योजना से लगाकर देश की सवैधानिक राज भाषा देवनागरीक लिपि का अपमान कब तक किया जाता रहेगा। सूचना हिन्दी में देवे।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की सूचना आवेदक के उपरोक्त डाक के पते पर डाक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत 48 घण्टे की अवधि के दौरान सही व सत्य सूचना भीजवाये और आवेदक का नाम व पता मुक्त रखा जाये वरना ये दोषी पुलिस एवं अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी दोषीयो से मिलकर आवेदक व उसके परिवार वालो को या तो मरवा देने या झूठे केस बनवाकर तंग करा देगे। इसके साथ सूचना आवेदन की उ०.डी०. 10 रुपये/50 रुपये संज्ञान है।

दिनांक- 21-6-2017

382/204544  
आवेदक  
21/6/17 संगेरवर शर्मा  
उपरोक्त